पत्रावली का लोक अदालत हेतु चयन किया गया, पक्षकारान को नोटिस जारी हो पत्रावली दिनांक 29-5-18 केम्प किशोरपुरा को पेश हो।

29.5.18

पत्रावली लोक अदातत केम्प किशोरपुरा में पेश हुई। वादी सं0 [illegible] का पुत्र विनोद कुमार मजमें आम में उपस्थित, जिसको प्रकरण के सम्बन्ध में सुना गया। वादीगण द्वारा वांछित रिलीफ अवलोकन किया गया। मजमें आम में पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर विचार किया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में विधिक विचार किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर वाद वादीगण

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहका जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
आंशिक स्वीकार किया जाना उचित पाते है। अतः वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम जाखडोंन तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 2 रकबा 0.31 हे0 एवं ख0नं0 64 रकबा 0.092 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित वादीगण के पिता का नाम विशम्भर के स्थान पर विश्वेश्वर दयाल उर्फ विशम्भर दर्ज किया जावें। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रट दीगोद जिला कोटा लोक अदालत केम्प किशोरपुरा

उनवान

1. मोतीलाल पुत्र विश्वेश्वर दयाल
2. गिर्राज पुत्र विश्वेश्वर दयाल
3. मोहनी पुत्री विश्वेश्वर दयाल
4. शोभा पुत्री विश्वेश्वर दयाल
5. सुरजा बाई बेवा विश्वेश्वर दयाल जाति ब्राह्मण निवासीगण अमरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर– 78 / 16

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि " अतः वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम जाखडोंन तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 2 रकबा 0.31 हे0 एवं ख0नं0 64 रकबा 0.092 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित वादीगण के पिता का नाम विशम्भर के स्थान पर विश्वेश्वर दयाल उर्फ विशम्भर दर्ज किया जावें।" तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 29.05.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner